<u>संख्या-95/2021/864/69-1-20-21(मु0अ0-37)/2021</u>

प्रेषक,

के0 पी0 सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2021**

विषय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-कुशीनगर की 22 परियोजनाओ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8822/47/10/छः/विविध/2017-18, दिनांक 18.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत"** वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-कुशीनगर की नगर पालिका परिषद, पडरौना की अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 22 परियोजनाओं, जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है, हेतु कुल **रू0 183.58 लाख** की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात **रू0 91.79 लाख (रूपये इक्यानबे लाख उन्यासी हजार मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं पर निर्माण कार्य काये जाने से पूर्व तथा निर्माण कार्य के दौरान 02 बार स्थलीय निरीक्षण अवश्य कराया जाय तथा सक्षम अधिकारी के माध्यम से निरीक्षण आख्या शासन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/

http://shasanadesh.up.gov.in

6. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2021 तक व्यय हो सके।
17. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. **प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा की होगा।**

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-9-352/दस-2021, दिनांक 30 मार्च **2021** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(के0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-95/2021/864/69-1-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कुशीनगर।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(के0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-95/2021/864(1)/69-1-20-21(मु0अ0-37)/2021, दिनांक 30 मार्च, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**जनपद का नाम**	**निकाय/ नगर पंचायत का नाम।**	**बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।**	**परियोजना की कुल लागत।**	**प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत स्वीकृति की जा रही धनराशि।**
1	2	3	4	5	6
1	कुशीनगर	न0पा0प0, पडरौना	वार्ड नं0 01 में काशीराम आवास से उदयप्रकाश गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.40	5.20
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 15 में सुदामा यादव के मकान से संजय शर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.84	1.42
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 17 में नरेश गुप्ता के मकान से शत्रुघन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.79	7.895
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 में काशीराम आवास के प्रांगण में सदरून के मकान से इनामुल के मकान होते हुए उर्मिला देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	16.24	8.12
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 15 में ईश्वर जायसवाल के मकान से कमलेश चौरसिया के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.33	1.665
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 मौ0 मेन बाजार उत्तरी में बकुलहा मुख्य मार्ग पर कन्हैया के घर से घासीटोला में गोपाल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	7.70	3.85
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 17 मौ0 गरूणनगर में जटहां मुख्य मार्ग पर प्रहलाद गुप्ता के दुकान से उमेश जायसवाल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.90	5.95
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 17 मौ0 गरूणनगर में ध्रुव सिंह के मकान से नन्दू गोयल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	7.45	3.725
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 25 में जयप्रकाशनगर में बंका सिंह के मकान से सिंगासन साहनी के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4.54	2.27
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 25 में जयप्रकाशनगर में झुन्नी मिश्र के घर से सच्चिदानन्द के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.42	1.21
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 09 मेन बाजर दक्षिणी में गुदरी बाजार पुराना मीटर मार्केट से मुखलाल शर्मा के घर होते हुए रोहित	15.80	7.90

http://shasanadesh.up.gov.in

			मल्ल के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।		
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 में सपना स्टुडियो से हास्पिटल रोड तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.85	2.425
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 में प्राथमिक विद्यालय से शिशु मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	12.69	6.345
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 में कन्नौजिया वार्ड पं0 से अनुप सिंह के मकान से राजू सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.14	2.07
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 में कन्नौजिया वार्ड पं0 से पप्पू सिंह के मकान के पीछे वाली गली तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.21	1.105
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 में शम्भू गुप्ता के मकान से प्रदीप जायसवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.78	2.39
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 21 में सुबाष राव के मकान से कृष्णा पटेल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.50	3.25
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 21 में सुनील श्रीवास्तव के मकान से सुमन देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.84	2.92
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 05 में त्रिपुरारी मिश्रा के मकान से बृजेश मिश्रा के मकान होते हुए डा0 साहब के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.14	5.57
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 20 में यू0पी0 टेक्सटाईल से रूपाली गिफ्ट कार्नर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.55	4.775
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 20 में प्रभु कुशवाहा के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.96	4.98
22	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 में अजय सिंह के मकान से बाईपास तक (मेस्तर टोली के बगल में) इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	13.51	6.755
योग				**183.58**	**91.79**

(रूपये इक्यानबे लाख उन्यासी हजार मात्र)।

(के0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in